

अनुबंध IV

बैंकिंग आउटलेट विस्तार के लिए वार्षिक कार्यक्रम का फार्मेट (एबीओईपी) : समेकित प्रस्ताव*

भाग क (व्यवसाय स्थल खोलना)*	बैंकिंग सुविधारहित ग्रामीण केंद्रों में प्रस्तावित (i)	एनई राज्यों, सिक्किम, एलडब्ल्यूई प्रभावित जिले (सिर्फ टियर 3 से टियर 6 के केंद्रों में प्रस्तावित (ii)	सिर्फ बीसी आउटलेट वाले ग्रामीण केंद्रों में प्रस्तावित इमारती शाखाएं (iii)	केवल किसी भुगतान बैंक के बैंकिंग आउटलेट वाले ग्रामीण केंद्रों में प्रस्तावित बैंकिंग आउटलेट (iv)	कॉलम (i) (ii) एवं (iii) और (iv) के क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों में प्रस्तावित	वर्ष के दौरान खोले जाने के लिए कुल प्रस्तावित (1 से 5 का योग)
	1	2	3	4	5	6
बैंकिंग आउटलेट						
अंशकालीक बैंकिंग आउटलेट						
प्रशासनिक कार्यालय						
पश्च (बैंक) कार्यालय						
केंद्रीयकृत प्रसंस्करण कक्ष						
कॉल सेंटर						
अन्य कोई (कृपया विनिर्दिष्ट करें)						
कुल						

***टियर वर्गीकरण के साथ राजस्व केंद्र के ब्योरे के अनुबंध रूप में जोड़ें।**

भाग ख (व्यवसाय स्थल का विलय/स्थानांतरण/बंद करना)

	विलय के लिए प्रस्तावित	स्थानांतरित किए जाने के लिए प्रस्तावित	बंद किए जाने के लिए प्रस्तावित	टियर वर्गीकरण के साथ राजस्व केंद्र के ब्योरे
बैंकिंग आउटलेट				
अंशकालीक बैंकिंग आउटलेट				
कुल				